केन्द्र एवं राज्य अन्य पिछडा वर्ग के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	आवेदक के परिवार के मुखिया जनाधार कार्ड :-	
	आवेदक का पूरा नाम :	
	जन्म तिथि :	प्राथी का फोटो (पासपोर्ट साईंज)
4.	निवास का पूर्ण पता :	(
	(क) वर्तमान	
	(ख) स्थाई	
	क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* हाँ यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य	नहीं
5.	धर्म :	
6.	जाति :	
7.	उपजाति :	
8.	उपजीविका—वर्ग	
9. 10.	आवेदन केन्द्र अ.पि.वर्ग के लिये या राज्य पि.वर्ग के लिये किया जा रहा अ.पि.व. की केन्द्र / राज्य सूची में जाति का क्रम संख्यांक :	है किन्द्र राज्य
11.	आवेदक के पिता का नाम	
12.	आवेदक के माता का नाम :	
13.	माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम	
14.	आवेदक के पति का नाम	
5.	माता–पिता पति की प्रारिथति	

		पिता	माता		पति		
[ক]	संवैध	ानिक पद	***************************************				
[ख]	पद न	नाम			*************************		
[ग]	सरक	गरी सेवायें					
		f	ोता	माता	पति		
	(i)	सेवा (केन्द्रीय/राज्य)					
	(ii)	पद नाम		******************			
	(iii)	वेतनमान, वर्गीकरण सहित,	यदि कोई हो।				
	(iv)	पद पर नियुक्ति की तारीख					
	(v)	वर्ग / पद पर पदोन्नति के	समय				
		आयु (यदि लागू हो)					
[घ]	अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त						
	राष्ट्र,	, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थय संग	ाठन में				
	नियो	जन					
	(i)	संगठन का नाम					
	(ii)	पद नाम					
	(iii)	सेवा की कालावधि					
		(दिनांक	t	. तक)			
	(111)	मृत्यु / स्थाई अक्षमता (यदि	लागू नहीं हो तो छे	ाड़ दीजिए)			
	(iv)	मृत्यु / अधिकारी की स्थायी	अक्षमता की तारीख	जब से वह	सेवा के		
		अयोग्य हो गया हो।					
	(v)	स्थायी अक्षमता का ब्यौरा					

[ड] पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

- (i) संगठन का नाम
- (ii) पद का नाम
- (iii) पद पर नियुक्ति की तारीख
- [च] पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगें)

TARREST TAR

- (i) पद नाम
- (ii) वेतनमान
- [छ] व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।
 - (i) उप-जीविका / वृत्ति
- [ज] सम्पत्ति के स्वामी
- [झ] कृषि जोते (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)
 - (1) अधस्थिति
 - (2) जोत का आकार
 - (3) क सिंचितख सिंचित भूमि का प्रकार
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - ग असिंचित।
 - 4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।

- उपि जोत सिंचित / असिंचित दोनों प्रकार की है तो-राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।
- 6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत
- ग (1) बागान
 - (I) फसल/फल
 - (11) अवस्थिति
 - (III) बागान का क्षेत्र
- [अ] (II) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और / या भवन
 - (I) सम्पत्ति की अवस्थिति।
 - (II) सम्पत्ति का ब्यौरा
 - (III) उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

[ब] आय/धन

- (I) समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)
- (II) क्या करदाता है (हां / नहीं) () यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।
- (III) क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां / नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए) अन्य कोई अभ्युक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपयुक्त विशिष्ठीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमी लियर का नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिश्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/नियुक्ति रद्द करणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों के उपबन्धित की जायें।

भवदीय,

रथान

दिनांक

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

D/varun/Cast Certificates

[刊]

[4]

(I) गवाह * :			
में	पुत्र ∕ पुत्री श्री [निवासी 🔃	
विभाग का नाम	पद	पर कार्यरत हूं एवं शपथ पू	
प्रार्थी / प्रार्थीया	पुत्र / पुत्री श्री	ि निवार	नी
को भली प्रकार से जानता ह	ू इं ये अन्य पिछडा वर्ग	की उपजाति	का / की हैं, तथा उनके
द्वारा संलग्न बयान मेरे समध	त दिया गया है जो प्	पूर्ण सत्य है।	
		(हस्ताक्षर	गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)
(ii) गवाह*:		•	•
节	्र प्त्र ∕ प्त्री श्री [_	निवासी	
विभाग का नाम		निवासी [पर कार्यरत हूं एवं शपथ पू [] निवार की उपजाति [र्वक बयान करता हूं कि,
प्रार्थी / प्रार्थीया	 पत्र / पत्री श्री	हुए । निवार	नी ि
को भली प्रकार से जानता ह	उ ट्रं ये अन्य पिछडा वर्ग	की उपजाति	का / की हैं, तथा उनके
द्वारा संलग्न बयान मेरे समध	ू त दिया गया है जो प	 पूर्ण सत्य है।	, ,
-			
		(हस्ताक्षर	गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)
		शपथ-पत्र	,
में पत्र / पत्री	श्री निद	_ गासीगांव / शहर	तहसील
		रापथ पूर्वक बयान करता / करते	
(1) मैं राजस्थान के अन्य पि	ोछडा वर्ग की अधिव	वृत सूची में सम्मिलित जाति	का / की सदस्य हूं।
(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की	साक्ष्य हेतु आवश्यक	प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने	को तैयार हूँ।
• •		राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) हो	
(4) यह कि मैंने किसी भी ि	जेले / प्रदेश से जाति	का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है	_
			हस्ताक्षर शपथग्रहिता
जाति की पष्टि हेत प्रथ	मतया: राजस्व रिकार्ड	र यथा भूमि जमाबंदी या अन्य	दस्तावेंज ऑनलाईन
		गति में हल्का पटवार जाँच रिपो	
श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाह	हों एवं शपथ पत्र के	आधार पर आवेदक श्री / श्रीमती	ो / कुमारी
पुत्र / पुत्री श्री	निवार्स	t	के / की है। यह अन्य
		। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर	
दिनांक			
			हस्ताक्षर पटवारी
			हलका नं
			तहसील
			उपखण्ड
			जिला
		पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स	-
		पत्र जैसे– प्रथमतया राजस्व रिकार्ड ज्रण/ नगर विकास न्यास/ ग्राम प	
		यदि ऑन लाईन नहीं हो तो।	
3. आय प्रमाण पत्र/आय	कर रिटर्न सम्बन्धी दस्त	गवेज की प्रति यदि ऑनलाईन दस्ता	वेंज नहीं हो तो
4 312-11-14-0-1	à mor na al	प्राचित्र से सम्मानित समार्थे।	

- 4. आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
- 5. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा— संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी—कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता
- 6. पुराना जाति प्रमाण पत्र की प्रति यदि ऑनलाईन नहीं हो तो